फर्द अहकाम

न्यायालयः अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रार्थीः जमना पत्नि कालू मीणा व अन्य **विपक्षीः** ममता पुत्री रमेश मीणा व अन्य

किस्म मुकदमाः अपील नामान्तरकरण **पत्रावली संख्याः** 02 **वर्षः** 2019 **GCMS NO-2019/00003**

क्र.स.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की
29.1.2021	पत्रावली पेश हुई। मामले मे बहस का रेकर्ड के मुकाबले अध्ययन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1423 दिनांक 24.05.2016 को निरस्त कराने से संबंधित है। उक्त नामान्तरकरण विक्रय के आधार पर खोला जाना पाया गया हैं अर्थात विवादित नामान्तरकरण विक्रय पत्र से पूर्णतया प्रभावित है एवं मूल आदेश को चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आर.आर.टी. 2005(2) पृष्ठ 774 मे स्पष्ट वर्णित हैं। सक्षम न्यायालय मे विक्रय पत्र को चुनौती देने पर यदि विक्रय पत्र निरस्त किया जाता है तो उक्त नामान्तरकरण स्वतः ही खारिज हो जाएगा एवं यदि विक्रय पत्र को यथावत रखा जाता है तो नामान्तरकरण भी यथावत रहेगा। विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार इस न्यायालय को न होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 खारिज की जाती हैं। अपीलान्ट यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय मे विक्रय पत्र निरस्ती की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम किया जावें। Signature Not Verified Digitally signed by Om Prakash Bunkar Date: 2021.02.01 11:35:06 IST Reason: SelfAttested	